



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032021-225961  
CG-DL-E-17032021-225961

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1149]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 2021/फाल्गुन 26, 1942

No. 1149]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 2021/PHALGUNA 26, 1942

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2021

सं. 30/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 1240(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ख) और (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे का.आ. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में:-

(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में, 12वें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा यथा:-

'बशर्ते और भी की न्यू जलपाईगुडी रेलवे स्टेशन को बैगेज के क्लियरेन्स के उद्देश्य से लैंड कस्टमस स्टेशन नियुक्त किया गया हो';

(ii) सारणी में बंगलादेश से संबंधित क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (62) और उससे संबंधित कॉलम (4) के प्रविष्ट के पश्चात्, कॉलम (3) और (4) में क्रमशः- निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा यथा:

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(63) न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में	भारत के जलपाईगुड़ी और बंगलादेश के ढाका को जोड़ने वाली हल्दीवाड़ी-चिल्हटी रेल के माध्यम से रेल मार्ग”।

[फा. सं. 550/03/2021-एलसी]

बुलो मामु, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का. आ. (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 27/2021-सीमाशुल्क (गै.टे) दिनांक 5 मार्च, 2021, जिसे का. आ. 2052(अ) दिनांक 5 मार्च 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2021

**No. 30/2021- Customs (N.T.)**

**S.O. 1240(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 63/1994-Customs (N.T.), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 830 (E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994, namely: -

In the said notification, -

(i) in the opening paragraph, after the twelfth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that New Jalpaiguri Railway Station is appointed as Land Customs Station for the purpose of clearance of baggage.”;

(ii) in the TABLE, against serial number 2 relating to Bangladesh, in column (3) after item (62) and the corresponding entry relating thereto in column (4), the following entries in columns (3) and (4) shall respectively be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(63) New Jalpaiguri Railway Station in Jalpaiguri district, West Bengal	The rail route through Haldibari-Chilhathi rail link connecting Jalpaiguri in India to Dhaka in Bangladesh”.

[ F.No.550/03/2021-LC]

BULLO MAMU, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 63/1994- Customs (N.T.), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 830(E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994 and was last amended *vide* notification No. 27/2021-Customs (N.T.), dated the 5<sup>th</sup> March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1052 (E), dated the 5<sup>th</sup> March, 2021.